कार्यालय जिला पंचायत जशपुर (छ0ग0)

—:विज्ञापनः—

क्रमांक/5495/पंचा.स्था. / RGSA / 2018 जशपुर दिनांक 23/02/2018

छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश कमांक 22 / पं.ग्रा.वि.वि. / RGSA / 144 / 2017 / 541 नया रायपुर दिनांक 15.03.2017 एवं छ0ग0 शासन पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश कमांक 22 / पं.ग्रा.वि.वि. / RGSA / 144 / 2017 429 नया रायपुर दिनांक 14.12.2017 तथा पंचायत संचालनालय, छ.ग. 36 CII, ब्लॉक–2 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर के पत्र कमांक पंचा. / RGSA / 144 / 2017 / 445 नया रायपुर, दिनांक 21.12.2017 के तहत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान / पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना के अंतर्गत स्वीकृत पदों पर संविदा भर्ती हेतु योग्य उम्मीद्वार से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर (छ0ग0) में दिनांक ......12/03/2018.. तक कार्यालयीन समय पर केलव पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट में स्वीकार किया जायेगा। बिलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा।

रिक्त पदो का विवरण

क्र	पदनाम	मसिक मानदेय एक मुश्त (प्रतिमाह)	स्वीकृत पद	वर्ग
1	जिला समन्वयक (Pesa)	50,000/–	1	अनारक्षित मुक्त
2	जिला समन्वयक (DPM)-RGSA	35,000/–	1	अनारक्षित मुक्त
3	सहायक जिला समन्वयक (ADPM)-RGSA	25,000/–	1	अनारक्षित मुक्त

शैक्षणिक अर्हता–

क्र	पदनाम	अनिवार्य अर्हता	प्राथमिकता
1	जिला समन्वयक (Pesa)	1. मान्यता प्रप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से आदिवासी विकास/ग्रामीण विकास/ ग्रामीण प्रबंधन विषय में न्यूनतम 60% अंको के साथ स्नातकोत्तर। 2.शासकीय संस्थान से 05 वर्ष का स्नातकोत्तर पश्चात् समान कार्य अनुभव।	ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आंनद (IRMA गुजरात) XLRI जमशेदपुर / TISS से ग्रामीण विकास प्रबंधन में डिग्री / डिप्लोमा उत्तीर्ण को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
2	जिला समन्वयक (DPM)-RGSA	1 .बी.ई. / बी.टेक.(कम्प्युटरसाईस / आईटी) एम.सी.ए. में न्यूनतम 60% अंक। 2. शासकीय संस्थान में डाटाबेस / प्रोग्रामिंग संबधित कार्यो का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।	–
3	सहायक जिला समन्वयक (ADPM)-RGSA	1. मान्यता प्रप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से ग्रामीण विकास / ग्रामीण प्रबंधन विषय में न्यूनतम 60% अंको के साथ स्नातकोत्तर। 2.शासकीय संस्थान से 01 वर्ष का समान कार्य अनुभव।	–

नियम एवं शर्तें :–

1. आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच की जाकर सभी पदों हेतु पृथक–पृथक मेरिट सूची तैयार की जायेगी जो स्वीकृत पदों के पांच गुना होगी।
3. तैयार मेरिट सूची से सभी पदो के अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं लिखित/प्रायोगिक परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।
4. मूल प्रमाण पत्रों की जांच/कम्प्युटर प्रायोगिक परीक्षा/साक्षात्कार के उपरांत योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति का आदेश संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किया जायेगा।
5. चयनित अभ्यर्थियों के साथ 03 अभ्यर्थियों तक की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी जो कि एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
6. मेरिट लिस्ट 100 अंक का निम्नानुसार तैयार किया जावेगा।

क्र.	पदनाम	मेरिट विवरण	100 अंक	रिमार्क
1	जिला समन्वयक (Pesa)	न्यूनतम अर्हता	70	न्यूनतम अर्हता के अंको का अधिभार 70 प्रतिशत
		शासकीय संस्थानों का कार्य अनुभव	20	प्रति वर्ष 05 अंक, (अधिकतम 20 अंक)
		साक्षात्कार	10	
2	जिला समन्वयक (DPM)–RGSA	न्यूनतम अर्हता	70	न्यूनतम अर्हता के अंको का अधिभार 70 प्रतिशत
		शासकीय संस्थानों का कार्य अनुभव	20	प्रति वर्ष 05 अंक, (अधिकतम 20 अंक)
		साक्षात्कार	10	
3	सहायक जिला समन्वयक (ADPM)–RGSA	न्यूनतम अर्हता	70	न्यूनतम अर्हता के अंको का अधिभार 70 प्रतिशत
		शासकीय संस्थानों का कार्य अनुभव	20	प्रति वर्ष 05 अंक, (अधिकतम 20 अंक)
		साक्षात्कार	10	

7. **वेतन** :– उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाडा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
8. **आरक्षण** :–
   1. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजनांतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित राज्य/जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा।
   2. आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।
9. **आयु सीमा** :– छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु–सीमा एवं छूट लागू होगी।

10. **नियुक्ति की अवधि** :- संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी । विभाग की आवश्यता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्ता का आकलन कर संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

11. **अवकाश की पात्रता** :- संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिवस ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्ति होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा।

12. **यात्रा भत्ता** :- संविदा नियुक्ति व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

13. **अन्य शर्ते** :-

   1. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
   2. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
   3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात संविदा नियुक्त शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपदान या मृत्युलाभ कर्मचारी की पात्रता नहीं होगी।
   4. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
   5. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) शतप्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त है अतः योजनांतर्गत समस्त पदों की संविदा अवधि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान तक के लिए ही मान्य रहेगी।

14. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यता संबंधी सभी प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित/राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

15. लिफाफा के ऊपर नाम एवं पदनाम जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख किया जावे। इसी प्रकार लिफाफा के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा जावे। आवेदन पत्र के साथ स्वयं के पत्र व्यवहार पता लिखा हुआ 02 लिफाफा जिसमें 25-25 रूपये का डाक टिकट संलग्न करना अनिवार्य है।

16. आवेदन का प्रारूप जिला पंचायत जशपुर क सूचना पटल एवं जिला के वेबसाईट www.jashpur.gov.in पर देखा जा सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जशपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्व प्रमाणित
नवीनतम
पास्पोर्ट
साईज फोटो

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जशपुर (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम :-...
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-...
3. (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में) :-...
4. पिता / पति का नाम :-...
5. जन्मतिथि (अंकों में) :-...
   (शब्दों में) :-...
6. आयु (01.01.2018 की स्थिति में) :-वर्ष................माह................दिन................
7. पत्र व्यवहार का पता :-...
   ....
   ....
   ....
   ....
8. स्थायी पता :-...
   ....
   ....
   ....
   ....
9. मोबाईल नंबर :-...
10. क्या आप छ.ग. के मूल निवासी हैं ? हां / नहीं :-...
    (मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
11. शैक्षणिक योग्यता (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें):-

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि. का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

12. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक :–..
(सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

13. अनुभव (समान पद एवं वेतनमान पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अनुभव)

क्र	कार्यरत पद का नाम	कार्यालय का नाम	वेतनमान	कार्यरत अवधि कब से कब तक

(अनुभव एवं नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

14. (अ) वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित)
(ब) यदि आप विवाहित हैं तो
विवाह की तिथि......................... बच्चों की संख्या.........अंतिम बच्चे की जन्मतिथि...................

15. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1.. 2..
3.. 4..
5.. 6..
7.. 8..
9.. 10..

आवेदक का हस्ताक्षर

–::घोषणा पत्र::–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :–

स्थान :–

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक नाम..